

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccfkanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/2021/3996

कांकेर, दिनांक/20/12/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

**विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.- Regarding Registration No. FP/CG/Other/27773/2017**

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विधि/115-720/2575 दिनांक 13.10.2021

2. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के पत्र क्र./मा.चि./2021/3114 दिनांक 02.12.2021



विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि आवेदनकर्ता प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर द्वारा कांकेर वनमंडल के अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नांरगी वन खण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तैयार व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 05 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, तदनुसार वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा 05 बिन्दुओं पर चाही गई अतिरिक्त जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण
(i)	Name of signing authorities has not been mentioned in Part-I.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने वाले भाग-1 की मूल प्रति संलग्न है।
(ii)	Part-IV is not submitted in Original.	अपेक्षित जानकारी की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का अनुरोध है।
(iii)	Examination of compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, revealed that certificate issued by District Collector is not submitted in Original.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी की गई Form-I and II की मूल प्रति संलग्न है।
(iv)	User Agency has not been mentioned the district level Committee Consultation/proceedings along with proposal.	गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण में आवेदक संस्थान का नाम उल्लेख किया गया है। मूल संलग्न हैं
(v)	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons of permanent (Direct and Indirect) and temporary (Direct and Indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में रोजगार उपलब्धता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, कुशल/अकुशल कर्मचारियों की संख्या एवं आवश्यक मानव दिवस की प्रेषित जानकारी संलग्न है।

अतः प्रकरण में चाही गई अतिरिक्त जानकारी की पूर्ति कर अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक/20/12/2021

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/2021/3997

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल को संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, नाथिया नवागांव कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर (छ.ग.)

GOVT. POLYTECHNIC KANKER (C.G.) - 494336  
Nathiyanaawagaon, Email-govtpolykanker@gmail.com

कं०/भवन/शापोंकां/2021


1879

कांकेर दिनांक

16/11/2021

प्रति,

✓ वन मण्डलाधिकारी  
वन मण्डल कांकेर (छ०ग०)



विषय:- Diversion of Forest land (4.309 ha) for non Forestry Purpose under Forest Conservation ACT.1980 proposed for Govt. Polytechnic Building For Skill upgradation-reg.

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय अरण्य भवन नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19 नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. F.No-1/IROCH-7/2021/283/ दिनांक 29/09/2021.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अनुसार लेख है कि चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है।

1. Name of Signing Authorities documents ( संलग्न-1)
2. Part IV documents की जानकारी इस संस्था से संबधित नहीं है यह जानकारी वन विभाग द्वारा दिया जाना है।
3. Examination of compliance of Scheduled in orginal Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act 2006 document in orginal. ( संलग्न-2)
4. User Agency the District Level Committee consultations/proceeding documents in orginal. ( संलग्न-3)  
Details of Employment Potential in terms of man days of Skilled, Somiskilled, document. ( संलग्न-4)

मान्य

वन मण्डल कांकेर (छ०ग०)  
16/11/21

  
प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर छ.ग.

पृ०कं०/भवन/शापोंकां/2021

कांकेर, दिनांक / /2021

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. The PCCF (HoFF) Government of Chhattisgarh Aranya Bhawan, Sector-19, Nava Raipur (C.G.).
3. The Addl PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh, Aranya Bhawan, Sector-19, Nava Raipur (C.G.).
4. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।

प्राचार्य

शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर छ.ग.

**भारत का राजपत्र दिनांक 10.12.2003 के अंक में प्रकाशित सा.  
कर नि. 23 (अ) वन संरक्षण अधिनियम 2003 के अंतर्गत**

परिशिष्ट  
(देखिये नियम 6)

फार्म (क)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अंतर्गत पूर्व अनुमति  
लेने का फार्म

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या 2013/079

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये )

01 परियोजना विवरण :-

- i अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/  
/स्कीम/संक्षिप्त विवरण । : कांकेर वनमंडल के कांकेर परिक्षेत्र  
अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक भवन  
निर्माण हेतु नांरगी वनखंड  
नाथियानवागांव, कक्ष क्रमांक 346 में से  
रकबा 4.309 हैं. वनभूमि प्रत्यावर्तन  
बाबत ।
- ii 1:50000 स्केल मानचित्र पर वन भूमि और : मानचित्र संलग्न है ।  
उसके आसपास के वनों की सीमाओं को  
दर्शाने वाला मानचित्र ।
- iii परियोजना की लागत । : 899.60 लाख
- iv वनक्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का : जिले में उपयुक्त राजस्व भूमि की  
औचित्य । अनुपलब्धता तथा उक्त वनभूमि  
उपयुक्त होने के कारण वन क्षेत्र  
नांरगी वनखंड नाथियानवागांव, कक्ष  
क्रमांक 346 का चयन किया गया है ।
- v लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के : आवश्यक नहीं है ।  
लिये )
- vi रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है । : कांकेर जिले के ग्राम नाथियानवागांव  
में शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज  
भवन निर्माण होने से प्रदेश के कई  
लोगो को तकनीकी शिक्षा प्राप्त होने  
पर रोजगार के अवसर में इजाफा  
होगी ।

02. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

S. N.	Item-Wise Break	Area (He.)
1	Government Polytechnic College	0.231
2	Female Hostel	0.400
3	Male Hostel	0.600
4	F Type Qtr.. 12	0.650
5	G Type Qtr. 04	0.270
6	I Type Qtr. 08	0.190
7	Principal Qtr. 01	0.190
8	Play Ground	1.500
9	Approach Road	0.135
10	Ground	0.143
	<b>Total :-</b>	<b>4.309</b>

03. परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है तो ?

i परिवारों की संख्या : निरंक ।

ii अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या : निरंक ।

iii पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) : निरंक ।

04. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) : नहीं ।

05. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दंडस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ – साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए) : आवश्यक नहीं है ।

06. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा ।

तिथि :-

स्थान :-

प्राचार्य (श्री काजल राय)  
शासकीय पॉलिटेक्निक  
कांकेर Govt. Polytechnic  
Kankar (C.उ.)

154

**Form I**  
**Government of**  
**Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)**

No. 583

Date 11-5-2018

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **4.309** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Principle Govt. Polytechnic College Nathiyanawagaon Kanker** (name of user agency) for **Diversion of 4.309 Ha. Compartment No. OA/346 Aria 4.309 Ha. Khasra no. 814 for Govt. Polytechnic building for skill upgradation village Nathiyanawagaon in Uttar Bastar Kanker District** (purpose for diversion of forest land) in **Kanker** district falls within jurisdiction of **Nathiyanawagaon** villages(S) in **Kanker** tehsils.  
This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.309** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Trival Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.....As above.

  
**(TAMAN SINGH SONWANI)**  
**Collector**

**District Uttar Bastar Kanker (C.G.)**



155

**Form II**  
**Gen project other than forest proposal**  
**Government of**  
**Office the District Collector Uttar Bastar Kanker (C.G.)**

No. 583Date 11-05-2018

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's cr No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **4.309** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Principle Govt. Polytechnic College Nathiyawagaon Kanker** (name of user agency) for **Diversion of 4.309 Ha. Compartment No. OA/346 Area 4.309 Ha. Khasra no. 814 for Govt. Polytechnic building for skill upgradation village Nathiyawagaon in Uttar Bastar Kanker District** (purpose for diversion of forest land) in **Kanker** district falls within jurisdiction of **Nathiyawagaon** villages(S) in **Kanker** tehsils.

This further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.309** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram sabha (s), Sub division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B** to **S**.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Nathiyawagaon** villages(s) is enclosed as annexure **1** to **3**
- (d) The discussion and decisions on such proposals and taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the gram sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities manages by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) to the FRA.

Encl.....As above.

  
**(TAMAN SINGH SONWANI)**

Collector

District Uttar Bastar Kanker (C.G.)

9/11

(156)

(3)

**जिला स्तरीय वन अधिकार समिति**

**जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

बैठक दिनांक...10/04/2018

—00—

प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन निर्माण हेतु ग्राम नाथियानवागांव प.ह.नं.-02, तहसील कांकेर ख.नं. 814 ( ऑरेंज एरिया कक्ष क्रमांक-346) वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैरवानिकी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है। अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत विषयांकित प्रकरण में ग्राम नाथियानवागांव में ग्रामसभा की बैठक दिनांक 23/03/2017 को सम्पन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा के अध्यक्ष श्री दिलदार सिंह मण्डावी की अध्यक्षता में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर में भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। इस ग्राम सभा की बैठक में 70% उपस्थित सदस्यों के बीच इस प्रस्ताव की विस्तृत चर्चा की गयी। ग्रामसभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

क्र.	ग्राम का नाम	मद	ख.नं.	धारा 3/2 में जारी वन अधि. पत्र	प्रस्तावित रकबा हे. में	योग रकबा (5+6) हे.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नाथियानवागांव प.ह. नं.-2, कांकेर	ऑरेंज एरिया	814 (ऑरेंज एरिया कक्ष क्रमांक 346)	0.999 हे.	3.310 हे.	4.309 हे.	---

इसी संदर्भ में अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कांकेर की बैठक दिनांक 16/10/2017 को सम्पन्न हुई। बैठक में उक्त ग्राम में स्थित वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन के समिति की बैठक में कोई आपत्ति नहीं करते हुए सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

ग्राम सभा नाथियानवागांव तथा अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति कांकेर में पारित प्रस्ताव को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा बैठक दिनांक 10/04/2018 को चर्चा कर सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। कोई आपत्ति नहीं है।

  
कै.सेक्टर  
एवम् 10/04/2018.

अध्यक्ष-जिला वन अधिकार समिति  
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

**सदस्य गण :-**

(1) वन मंडलाधिकारी कांकेर.....

(2) वन मंडलाधिकारी भानुप्रतापपुर/पूर्व .....

(3) वन मंडलाधिकारी भानुप्रतापपुर/पश्चिम.....

(4) सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कांकेर.....

(5) उप संचालक समाज सेवा कांकेर.....

(6) श्री हीरा मरकाम सदस्य.....

जिला पंचायत सदस्य (अजजा.)

(7) श्री बिरेश ठाकुर सदस्य (अजजा.) .....

(8) श्रीमती धीरज नेताम जिला पंचायत सदस्य (अजजा.).....

V. Details of employment Potential in terms of mandays of Skilled, Semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) as hereunder :-

बिन्दु क. v की जानकारी निम्नानुसार है :-

शासकीय पॉलीटेक्निक कांकेर के निर्माण हेतु कुल रकबा 4.309 हे. का प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें से 0.999 हे. के अंतर्गत शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज के भवन का निर्माण किया गया है, शेष 3.310 हे. में स्टाफ के आवास, छात्र-छात्राओं के हास्टल खेल का मैदान, अप्रोज रोड बनाया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रोजेक्ट में रोजगार की सम्भावना निम्नानुसार है:-

(1) अनियमित कर्मचारी (प्रत्यक्ष)

कुशल कर्मचारीयो की संख्या - 10 एवं 2500 mandays  
अर्धकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 15 एवं 6000 mandays  
अकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 150 एवं 45000 mandays

(2) अनियमित कर्मचारी (अप्रत्यक्ष)

कुशल कर्मचारीयो की संख्या - 05 एवं 1000 mandays  
अर्धकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 05 एवं 1500 mandays  
अकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 15 एवं 750 mandays

(3) नियमित कर्मचारी (प्रत्यक्ष)

कुशल कर्मचारीयो की संख्या - 04 एवं 6000 mandays  
अर्धकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 02 एवं 4000 mandays  
अकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 10 एवं 3000 mandays

(4) नियमित कर्मचारी (अप्रत्यक्ष)

कुशल कर्मचारीयो की संख्या - 04 एवं 100 mandays  
अर्धकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 05 एवं 150 mandays  
अकुशल कर्मचारीयो की संख्या - 08 एवं 400 mandays

  
(श्री काजल राय)

**PRINCIPAL**  
Govt. Polytechnic  
Raniker (C.G.)  
प्राचार्य  
शासकीय पॉलीटेक्निक  
कांकेर